

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक-सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना-800023
दूरभाष: 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई-मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक-01 / प्रा0आ0(बाढ़)-07 / 2021 / 1721 / आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-04/05/2021

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय: संभावित बाढ़ 2021 की पूर्व तैयारियों के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि प्रायः हर वर्ष मॉनसून अवधि के दौरान राज्य के कई जिलों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। राज्य के कुल 28 जिलों को बाढ़ प्रवण जिले के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिले की श्रेणी में आते हैं। तथापि यदा-कदा ऐसे जिले भी बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं जो बाढ़ प्रवण जिले नहीं हैं, यथा-गया, रोहतास, कैमुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद आदि। इन जिलों में बाढ़ आने का मुख्य कारण स्थानीय नदियों यथा पुनपुन, फल्गू, कर्मनाशा एवं सोन नदी के जलस्तर का बढ़ जाना है। साथ ही, गंगा नदी के तट पर स्थित मुंगेर जिला, जो बाढ़ प्रवण जिला नहीं है, भी बाढ़ से यदा-कदा प्रभावित होता रहता है।

अतः बाढ़ प्रवण जिलों के साथ-साथ गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी बाढ़ पूर्व की जाने वाली तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व में सभी जिलों को बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) भेजी गई है, जिसमें अद्यतन आदेशों, परिपत्रों, अनुदेशों आदि का संकलन किया गया है। जो परिपत्र पुराने पड़ गए हैं, उनके स्थान पर समय-समय पर विभाग से अद्यतन परिपत्र निर्गत किये जाते रहे हैं। बाढ़ आपदा के दौरान चलाए जा रहे राहत कार्यों, यथा राहत शिविरों एवं सामुदायिक रसोई का संचालन, सूखा राशन/फूड पैकेट उपलब्ध कराया जाना, राहत शिविरों में जेनरेटर, पंडाल, ईंधन, अस्थायी शौचालय, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था, SDRF/NDRF/सेना/वायुसेना का गमनागमन (Movement), नावों का परिचालन आदि मदों पर होने वाले व्यय का भुगतान विभागीय पत्रांक-3849 दिनांक-15.11.2019 में दिए गए निदेशों के अनुरूप किया जाए। साथ ही, आनुग्रहिक राहत (GR) के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1277 दिनांक-09.04.2020 में दिए गए निदेश का अनुपालन किया जाए। इसके अतिरिक्त विभागीय पत्रांक-1973 दिनांक-26.05.2015 के द्वारा वर्ष 2015-20 तक के लिए लागू साहाय्य मानदर (Items and Norms of assistance form SDRF and NDRF) को परिचारित किया गया है जिसका अवधि विस्तार अगले एक वर्ष (2020-21) तक के लिए अथवा नया मानदण्ड निर्गत होने की तिथि तक, जो भी पहले हो कर दिया गया है इस संबंध में विभागीय पत्रांक-1337 दिनांक-13.04.2020 के द्वारा संसूचित किया गया है।

सभी अद्यतन परिपत्रों एवं अद्यतन साहाय्य मानदर को विभागीय वेबसाइट <http://state.bihar.gov.in/disastermgmt/CitizenHome.html> पर अपलोड भी करते हुए "Circular" के अन्तर्गत रखा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया एवं नए अद्यतन परिपत्रों के आलोक में बाढ़ पूर्व तैयारियों की जानी हैं। साथ ही, बाढ़ आने की दशा में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ आपदा से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने हैं। यदि हमारी तैयारियाँ (Preparation) ससमय पूर्ण हो जाएँगी तो बाढ़ आपदा का मुकाबला हम सक्षमता एवं प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

बाढ़ पूर्व तैयारियों के लिए उठाए जाने वाले कदम निम्नानुसार होंगे :-

1. वर्षा मापक यंत्र:

वर्षा मापक यंत्रों की आवश्यकतानुसार मरम्मत कर उन्हें चालू हालत में रखा जाए। वर्षा मापक यंत्रों की रीडिंग हेतु प्रत्येक प्रखंड में 2 प्रशिक्षित कर्मियों का निर्धारण किया जाए। साथ ही, वर्षापात आँकड़ों के त्वरित प्रेषण की व्यवस्था भी की जाए।

2. संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान:

बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की अद्यतन पहचान कर ली जाए। इस कार्य हेतु विगत वर्षों में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्ति समूहों के आँकड़ों का उपयोग किया जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निराश्रितों, दिव्यांगों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं की सूची विशेष रूप से तैयार की जाए।

3. तटबंधों की सुरक्षा:

जिला अन्तर्गत तटबंधों का निरीक्षण कर संवेदनशील स्थलों पर तटबंधों के सुदृढीकरण/मरम्मत की कार्रवाई की जाए। इस क्रम में जल संसाधन विभाग से सतत सम्पर्क रखा जाए।

जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों से तटबंधों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लें एवं जहाँ सुदृढीकरण करना आवश्यक हो, मॉनसून आने के पूर्व तक अवश्य करा लें। जल संसाधन विभाग से यह भी अनुरोध है कि आवश्यकतानुसार चिन्हित बिन्दुओं पर खाली बोरे, लोहे के जाल एवं बालू की व्यवस्था रखें ताकि तटबंध सुरक्षा का कार्य आवश्यकता पड़ने पर तुरंत शुरू किया जा सके।

नदियों में उफान आने के दौरान तटबंधों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कर लिया जाए। इसके लिए चौकीदार/होमगार्ड की सेवाएँ ली जा सकती हैं और जल संसाधन एवं अन्य विभाग के कनीय अभियंताओं के साथ उन्हें प्रतिनियुक्त कर पेट्रोलिंग टीम बनायी जा सकती है। पेट्रोलिंग टीम का यह दायित्व रहेगा कि किसी भी बिन्दु पर कटाव होने की सूचना प्रखंड/जिला प्रशासन तथा जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को तुरंत दें। यह भी आशंका रहती है कि ग्रामीणों के द्वारा कतिपय स्थलों पर तटबंध काट दिया जाए। पेट्रोलिंग पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार का कोई प्रयास सफल न हो।

4. सूचना व्यवस्था:

जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह व्यवस्था कर ली जाए कि जिलान्तर्गत बहने वाली नदियों के विभिन्न स्थलों पर जल स्तर की सूचना वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रतिदिन प्राप्त हो। इसके लिए पुलिस वायरलेस का उपयोग किया जा सकता है। संबंधित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षापात की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी उपलब्ध कराएँगे। यह सुनिश्चित कर लें कि जिला प्रशासन के क्षेत्रीय कर्मचारियों (जनसेवक, कर्मचारी, पंचायतसेवक) के माध्यम से प्रखंड एवं अंचल को तथा उनसे आपको किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना तुरंत प्राप्त हो। जिला स्तर पर ऐसी संचार योजनाएँ बनायी जाएँ जिससे कि क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रशिक्षित स्वयं सेवकों और मोटरबोट चालकों के साथ लगातार व्यवधान रहित सम्पर्क रखा जा सके।

5. नाव:

बाढ़ के दौरान आबादी निष्क्रमण, राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन तथा आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से देशी नावों की पर्याप्त आवश्यकता पड़ती है। अतः जिला में उपलब्ध सभी सरकारी देशी नावों की गहनी/मरम्मत करवा कर उन्हें परिचालन योग्य बनाया जाए। साथ ही, बाढ़ के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में निजी देशी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। निजी देशी नावों के संबंध में विभागीय पत्रांक-2001/आ०प्र० दिनांक-18.05.2020 एवं

पत्रांक-2428/आ०प्र० दिनांक-27.06.2020 के अनुरूप 15 जून के पूर्व तक आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाए। नावों के परिनियोजन हेतु आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाए।

निजी नावों के भाड़े एवं नाविकों के मजदूरी का पूर्व का भुगतान यदि लंबित हो तो उसका भुगतान अतिशीघ्र सुनिश्चित कर लें।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए नावों/मोटरबोटों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का यथा संभव पालन किया जाए। नावों एवं मोटरबोटों को आवश्यकतानुसार सैनिटाईज भी कराया जाए।

6. चना, सत्तू, चूड़ा, गुड़, नमक, खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्था:

बाजार में चना, चूड़ा, गुड़, सत्तू, नमक आदि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का जायजा करा लें तथा rate contract करा लें, ताकि आवश्यकता एवं समयानुसार उपलब्धता में विलंब न हो। संभावित बाढ़ राहत सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा आदि के संबंध में विभागीय पत्रांक-1504 दिनांक-01.09.2005 के द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। साथ ही, राहत पैकेट तैयार करने हेतु टीमों का गठन भी कर लिया जाए।

7. पॉलीथीन शीट्स:

आवश्यकतानुसार विस्थापितों के लिए पॉलीथीन शीट्स का आकलन यथाशीघ्र सुनिश्चित कर लें एवं किए गए आकलन के अनुसार अपने नोडल जिले से पॉलीथीन शीट्स की अधियाचना कर ली जाए। विभागीय पत्रांक-1155 दिनांक-20.04.2018 के द्वारा पालीथीन शीट्स के क्रय एवं भंडारण के संबंध में निदेश दिए गए हैं।

8. बाढ़ शरण स्थल:

शरण स्थल ऊँचे स्थानों पर स्थित स्कूल भवन, पंचायत भवन अथवा अन्य ऊँची भूमि आदि हो सकते हैं। बाढ़ आने के पूर्व ऊँचे शरण स्थलों की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। संभावित शरण स्थलों की पहचान और उनके प्रबंधन की विशेष योजना पूर्व से बना ली जाए। कोविड-19 के आलोक में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु अपेक्षाकृत अधिक संख्या में बाढ़ राहत शिविरों को चिन्हित करने की आवश्यकता होगी।

बाढ़ शरण स्थलों पर आने वाले बाढ़ प्रभावितों के पंजीकरण/निबंधन हेतु प्रत्येक शरण स्थल पर एक रजिस्ट्रेशन काउन्टर की व्यवस्था हो, जो रजिस्ट्रेशन-सह-नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। पंजीकरण के दौरान ही सभी प्रभावितों को आवश्यकतानुसार मास्क (Mask) उपलब्ध करा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन-सह-नियंत्रण कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग सहित सैनेटाईजर/हैण्डवाश एवं ध्वनि-विस्तारक यंत्र (PA System) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में अलग-अलग शौचालय, मेडिकल कैम्प, संचार, प्रकाश एवं साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था, नवजात शिशुओं के टीकाकरण, प्रसव की व्यवस्था, भोजन बनाने के उपस्कर एवं स्थल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, टेन्ट, मच्छरदानी, 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष भोजन, सैनेटरी किट जैसे महत्वपूर्ण एवं मानवीय बिन्दुओं पर विशेष रूप से योजनाएँ बना ली जाएँ। अत्यन्त बाढ़ प्रवण जिलों में मेगा शिविर लगाने हेतु स्थानों का चयन पूर्व से कर लिया जाए, ताकि आकस्मिकता के समय इसे व्यवहृत किया जा सके।

कोविड-19 के आलोक में शरण स्थलों/सामुदायिक रसोई स्थलों पर Medical Screening एवं Thermal Scanner की समुचित व्यवस्था की जाए। Medical Screening के पश्चात asymptomatic पाए गए व्यक्तियों को ही बाढ़ शरण स्थल में आवासन की अनुमति दी जाए। Symptomatic पाए गए व्यक्तियों को Health Quarantine Center में भेजने की व्यवस्था की जाए, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। Health

Quarantine Center बाढ़ शरण स्थल से यथासंभव सुरक्षित दूरी पर बनाई जाए, जिससे कि संक्रमण फैलने का जोखिम न्यून रहे।

विभागीय पत्रांक-3174 दिनांक-24.08.2016, पत्रांक-3177 दिनांक 24.08.2016, पत्रांक-3201 दिनांक-26.08.2016, पत्रांक-3226 दिनांक-27.08.2016, पत्रांक-3232 दिनांक-28.08.2016, पत्रांक-2368 दिनांक-15.08.2017, पत्रांक-2112 दिनांक-14.07.2019 एवं पत्रांक-3849 दिनांक-15.11.2019 तथा समय-समय पर यथा संशोधित पत्रों के द्वारा राहत केन्द्र/सामुदायिक रसोई के संचालन के संबंध में आवश्यक निदेश प्रेषित हैं, जो विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि बाढ़ आने पर प्रभावित परिवार तटबंधों पर अथवा सड़कों के किनारे शरण लेते हैं। वैसी जगहों पर समुदायिक रसोई (Community Kitchen) का संचालन करने हेतु शरण स्थलों को पूर्व से ही चिन्हित कर लें। बाँध पर अथवा सड़क के किनारे जहाँ लोग अमूमन शरण लेते हैं, वहाँ पूर्व से आवश्यक तैयारी रहनी चाहिए।

कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर बाढ़ आपदा राहत केन्द्रों के संचालन में Social Distancing एवं अन्य सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। आपदा राहत केन्द्रों में भोजन तैयार करने एवं परोसने में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। भोजन बनाने, परोसने एवं बर्तन धोने आदि सभी जगहों पर आवश्यकतानुसार हैंड सैनेटाईजर एवं हैंडवास (Liquid/Soap) की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। भोजन कराने के समय को stagger करते हुए पालीवार व्यवस्था किया जाए तथा बैठने हेतु social distancing norms का कठोरतापूर्वक पालन हो। आपदा राहत केन्द्र में संलग्न सभी पदाधिकारी/कर्मचारीगण अनिवार्य रूप से मास्क एवं सैनेटाईजर का उपयोग करेंगे।

9. मानव दवा की व्यवस्था:

जिला पदाधिकारी सिविल सर्जन के परामर्श से कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक दवाओं का आकलन एवं भंडारण सुनिश्चित कर लें। बाढ़ आने की दशा में विभिन्न जल जनित बीमारियों के प्रकोप की संभावना रहती है। अतः जिला अस्पतालों/अनुमंडल एवं रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा उपकेन्द्रों पर सर्पदंश की दवाएँ, क्लोरिन टैबलेट, ओ0आर0एस0 घोल के पैकेट, हैलोजन टैबलेट, एन्टीरेबीज की सूईयाँ, एन्टीबायोटिक दवाएँ, ब्लिचिंग पाउडर आदि का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाए।

10. मोबाईल मेडिकल टीम एवं मेडिकल कैम्प:

यथासंभव सभी शरण स्थल पर मेडिकल कैम्प के लिए आवश्यक चिकित्सक/पारामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराए जाएँ। बड़े शरण स्थलों के लिए मेडिकल कैम्प लगाएँ तथा शेष शरण स्थलों के लिए मोबाईल मेडिकल टीम गठित करें। प्रत्येक मोबाईल टीम के साथ दो या तीन शरण स्थल सम्बद्ध रहेंगे। सम्बद्ध शरण स्थलों पर मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति निर्धारित समय से पूर्व ही कर ली जाए।

11. पशु चारा एवं पशु दवा की व्यवस्था:

बरसात के दौरान/बाढ़ के समय पशु-संसाधन विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। चयनित शरण स्थली के निकट पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ के दौरान सत्यापन कर यह सुनिश्चित कर लें कि यह शिविर कार्यरत है। पशु चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के परामर्श से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। बाढ़ प्रवण जिलों में पशु आश्रय स्थल के साथ-साथ पशु-चारा की उपलब्धता एवं आवश्यकता का आकलन पूर्व से कर ली जाए।

12. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था:

बाढ़ प्रभावित गाँवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु चापाकल को ऊँचे स्थानों पर गाड़ने की व्यवस्था तथा पेयजल के परिवहन आदि से संबंधित व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए। पेयजल की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में क्लोरिन टेबलेट की व्यवस्था कर ली जाए एवं बाढ़ प्रवण पंचायतों में इन टेबलेट्स के उपयोग का प्रशिक्षण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से समय-पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाए।

13. जेनरेटर सेट/पेट्रोमैक्स/महाजाल की व्यवस्था:

जेनरेटर सेट, पेट्रोमैक्स, टेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियाँ इत्यादि की उपलब्धता का विशेष रूप से मानचित्रण किया जाए एवं इनके आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाकर भाड़े का निर्धारण कर लिया जाए। जिलों को महाजाल क्रय करने का निदेश पूर्व में दिया गया है। जहाँ महाजाल का क्रय अबतक नहीं हो सका हो वहाँ महाजाल का क्रय ससमय कर लिया जाए। अधियाचना प्राप्त होने पर महाजाल के लिए राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

14. राज्य खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की उपलब्धता एवं खाद्यान्न के संधारण हेतु गोदामों का चिन्हीकरण:

राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न का आकलन कर लिया जाए तथा संभावित बाढ़ के पूर्व ही आवश्यकतानुसार खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए पंचायत एवं प्रखंडस्तर पर सरकारी/निजी भवनों की पहचान कर ली जाए, जिन्हें मुफ्त खाद्यान्न के वितरण केन्द्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। राज्य खाद्य निगम को पूर्व से लंबित बकाए का भुगतान शीघ्र कर दिया जाए।

15. सड़कों की मरम्मत:

बाढ़ के पूर्व जिले की मुख्य सड़कों, विशेषकर जिला मुख्यालय से प्रखंड/अंचलों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत करा ली जाए। पुल-पुलियों की भी मरम्मत करके उन्हें यातायात के लिए सुगम बना लिया जाए।

16. नाव/लाईफ जैकेट/मोटरबोट के परिनियोजन की आकस्मिक व्यवस्था:

बाढ़ के समय जिले के किसी भी स्थान पर किसी भी समय लोगों को बचाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः नाव, लाईफ जैकेट, मोटरबोट आदि के परिनियोजन हेतु एक आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों में गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को मोटरबोट परिचालन में प्रशिक्षित किया गया है एवं उन्हें आपदा राहत एवं बचाव दल का किट भी उपलब्ध कराया गया है। अतः जिलों में मोटरबोट परिचालन में प्रशिक्षित गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की प्रतिनियुक्ति हेतु भी योजना तैयार कर ली जाए।

17. नोडल पदाधिकारी/जिलास्तरीय टास्क फोर्स:

बाढ़ पूर्व तैयारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उपलब्ध मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। नोडल पदाधिकारियों का नामांकन, उनका प्रशिक्षण, प्रखण्ड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर इनकी प्रतिनियुक्ति, क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, मोटरबोट चालकों आदि की प्रतिनियुक्ति 15 जून से पूर्व कर ली जाए। मानव संसाधनों का समन्वय इनके सर्वोत्तम उपयोग के लिए आवश्यक है। जिलास्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ से जुड़े सभी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारियों का टास्क फोर्स गठित कर लिया जाए। इस टास्क फोर्स द्वारा समय-समय पर बैठक कर विभिन्न विभागों द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जाए।

18. जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र-सह-नियंत्रण कक्ष:

राज्य स्तर के अनुरूप ही जिला स्तर पर भी संचार माध्यमों से लैस स्थायी जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र-सह-नियंत्रण कक्ष (DEOC) की स्थापना की गई है। बाढ़ के पूर्व जिले में उपलब्ध खोज एवं बचाव यंत्रों की सूची तैयार कर उक्त नियंत्रण कक्ष में

रखी जाए। नियंत्रण कक्ष में टॉल फ्री दूरभाष/टेलीफोन की व्यवस्था की जाए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों की आम जनता से शीघ्र सूचना प्राप्त की जा सके। किसी वरीय पदाधिकारी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बना दिया जाए। जिला नियंत्रण कक्ष हमेशा राज्य नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहेंगे।

19. गोताखोरों का प्रशिक्षण:

बाढ़ आपदा एवं नाव दुर्घटना के समय लोगों को डूबने से बचाने एवं डूबे हुए व्यक्तियों के शव बरामद करने हेतु गोताखोरों को प्रशिक्षित किया गया है एवं इन्हें राहत-बचाव संबंधी किट भी उपलब्ध कराई गई है। इन प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची मोबाईल/दूरभाष नम्बर के साथ जिले के नियंत्रण कक्ष (DEOC) में संधारित कर रखी जाए एवं आवश्यकतानुरूप इनका उपयोग किया जाए। गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित गृह रक्षकों एवं समुदाय के चयनित व्यक्तियों का बाढ़ के दौरान खोज, बचाव एवं राहत कार्यों में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक उपयोग किये जाने एवं दैनिक मजदूरी मानदेय/भत्ता संबंधी निदेश विभागीय पत्रांक-1638, दिनांक-20.06.2018 एवं पत्रांक 4400 दिनांक-26.12.2011 के द्वारा आपको प्रेषित हैं तथा विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

20. समुदाय का प्रशिक्षण:

किसी भी आपदा के समय स्थानीय समुदाय ही पहला रेस्पॉन्डर होता है। बाढ़ के दौरान समुदाय के लोगों को राहत एवं बचाव कार्यों के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाने हेतु क्षमतावर्द्धन (Capacity Building) योजना के तहत प्रत्येक बाढ़ प्रवण जिलों के बाढ़ प्रवण प्रखण्डों में पंचायतों से तथा विशेष रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति टोलों से अनुसूचित जाति के युवकों का चयन कर इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। समुदाय के इन प्रशिक्षित लोगों का उपयोग बाढ़ के दौरान आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव दल के रूप में किया जाए।

21. राहत एवं बचाव दल का गठन:

बाढ़ प्रवण प्रखण्डों के पंचायतों में यथानुसार समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रखंड/अंचल के कर्मियों, प्राथमिक उपचार में दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, होमगार्डों, नागरिक सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस के जवानों को मिलाकर बाढ़ आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु "राहत एवं बचाव दल" गठित किया जाए एवं उनकी विस्तृत सूचना जिला नियंत्रण कक्ष (DEOC) में संधारित की जाए।

22. तैयारियों का अभ्यास:

बाढ़ तैयारी के संबंध में स्वयंसेवकों/क्षेत्रीय कर्मचारियों/गैर सरकारी संगठनों के साथ Mock Exercise/Mockdrill का आयोजन कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में online/virtual माध्यम से नियमित अंतराल पर किया जाए।

23. आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण:

कृषि विभाग द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना बना ली जाए। इस योजना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल/बिचड़ों की क्षति होने पर बिचड़े उपलब्ध कराने एवं वैकल्पिक फसल उगाने की योजना शामिल होगी।

जिला स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए शीघ्र एक बैठक आयोजित की जाए तथा तैयारी के संबंध में विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाए। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा विभाग द्वारा यथासमय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं प्रमण्डलीय स्तर पर बैठकों के माध्यम से की जाएगी।

आशा है सभी जिले इस वर्ष के संभावित बाढ़ से निपटने हेतु पूरी तैयारी ससमय कर लेंगे ताकि जन सामान्य को बाढ़ आपदा से राहत पहुँचाने में हमलोग सफल हो सकें।

नोट:- 1. बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में उठाए जाने वाले उपरांकित कदम उदाहरणस्वरूप (illustrative) हैं, परिपूर्ण (exhaustive) नहीं। जिला-विशेष अपने जिले में बाढ़ के इतिहास एवं समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से मानसून एवं नदियों में जलस्तर के संबंध में प्राप्त पूर्वानुमानों को ध्यान में रखकर बाढ़ पूर्व तैयारियाँ सुनिश्चित करेंगे।

2. बाढ़ पूर्व तैयारियों हेतु सभी बाढ़ प्रवण जिलों को अलग से राशि आवंटित की जा रही है।

3. कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) के वर्तमान परिदृश्य में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं अन्य स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाए। साथ ही, इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए उपर्युक्त सभी कार्य सम्पादित किए जाएँ।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(बाढ़)-07/2021/1721/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-04/05/2021

प्रतिलिपि: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने प्रमण्डलों में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ ससमय सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(बाढ़)-07/2021/1721/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-04/05/2021

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव-गृह विभाग/समाज कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग/पथ निर्माण विभाग/पंचायती राज विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ऊर्जा विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कृषि विभाग/पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/परिवहन विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/निदेशक, सांख्यिकी निदेशालय/क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित बाढ़ पूर्व तैयारियाँ ससमय कर ली जाएँ तथा बाढ़ आपदा प्रबंधन की राज्य एवं जिलास्तर पर आकस्मिक योजना शीघ्र तैयार कर ली जाए।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(बाढ़)-07/2021/1721/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-04/05/2021


प्रतिलिपि: सभी जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सम्बद्ध जिलों का भ्रमण कर बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर ली जाए।

प्रधान सचिव


ज्ञापांक-01 / प्रा0आ0(बाढ़)-07 / 2021 / 1721 / आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-04/05/2021
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/महानिदेशक
-सह-नागरिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव


ज्ञापांक-01 / प्रा0आ0(बाढ़)-07 / 2021 / 1721 / आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-04/05/2021
प्रतिलिपि: सभी जिलों के प्रभारी मंत्री के आप्त सचिवों को माननीय मंत्रियों के
सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक-01 / प्रा0आ0(बाढ़)-07 / 2021 / 1721 / आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-04/05/2021
प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/आप्त सचिव, माननीय
उप मुख्य (आपदा प्रबंधन) मंत्री, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-01 / प्रा0आ0(बाढ़)-07 / 2021 / 1721 / आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-04/05/2021
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव

